न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—149/2019/223 (2019/00149)

1. लाला पुत्र अमरसिंह,
2. किशना पुत्र अमरसिंह,
3. लाडू पुत्र अमरसिंह,
4. सहदेव पुत्र अमरसिंह,
समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम दुदा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. बख्ताराम पुत्र पन्ना,
2. शिवजी पुत्र पन्ना,
3. बस्तीराम पुत्र गणेश,
4. कैलाशचन्द्र पुत्र गणेश,
5. किशोर पुत्र गणेश,
6. मांगीलाल पुत्र गणेश,
समस्त जाति रेगर, निवासी ग्राम रामपुरा, दुदा, तह0 ब्यावर,जिला अजमेर जरिये मुख्त्यारआम मदनलाल पुत्र हीरालाल, जाति मेघवाल, निवासी कुमावत कॉलोनी, फतेहपुरिया दोयम, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 5.2.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 110/2018 (159/2011).

उपस्थितः—

1. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील अपीलांटस।
2. श्री विजयसिंह रावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः— 17.2.2020

1. हस्तगत अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.2.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 7 ने प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 175 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 183, 184, 186, 333 कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा ग्राम रामपुरा दूदा, पटवार क्षैत्र धोलादांता, तह0 टॉटगढ़, जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके रिकार्डेड सहखातेदार बख्ताराम, शिवजी पिता पन्ना, बस्तीराम,

केलशचंद्र किशोर, मांगीलाल पिता गणेश, जाति रेगर निवासी ग्राम रामपुरा–दुदा, तह0 ब्यावर जिला अजमेर है । उक्त सहखातेदार अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से जरिये विक्रय पत्र इकरारनामा द्वारा वर्तमान अपीलांट/प्रतिवादीगण को बेचान कर दी है, जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं है । सहखातेदारान द्वारा राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 42–बी का स्पष्ट उल्लघंन कर आराजी का बेचान किया गया जो कानूनन उक्त आराजी धारा 175 के तहत बिलानाम श्री सरकार दर्ज किया जावे । अधी0न्याया0 ने वाद पत्र दर्ज रजिस्ट कर वर्तमान अपीलांट को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 26.6.2014 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 7 का वाद स्वीकार किया गया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 जरिये मुख्त्यारआम के द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील बख्ताराम बनाम सरकार पेश की गई जिसे हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.8.2018 को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण में पुनः सुनवाई बाबत् प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 5.2.2019 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 7 का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व संपूर्ण दस्तावेजात का बिना अवलोकन किये एवं मान0 न्यायालय के पूर्व निर्णय में दिये गये निर्देशों की पालना किये बिना तथा मान0 उच्च न्यायालयों द्वारा पारित नजीरों का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 का कोई पृथक से प्रतिवाद पत्र के अभाव एवं बिना कब्जा के अभाव में खातेदारी प्रदान करने का आदेश विधि विरूद्ध प्रदान किया गया जबकि वादग्रस्त आराजी वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 एवं उनके पूर्वज पन्ना पुत्र दल्ला एवं गणेश पुत्र दल्ला के द्वारा जरिये विक्रय पत्र इकरारनामा दिनांक 21.7.1992 व 8.11.1995 को बेचान कर, अपीलांट के पिता एवं बाद में अपीलांट काबिज बहैसियत खातेदार काबिजज काश्त चले आ रहे है । आराजी का विक्रय होने पर धारा 63 राज0काश्त0अधि0 के तहत विक्रेता के अधिकार समाप्त हो जाते है । धारा 175 राज0काश्त0अधि0 की कार्यवाही मात्र राज्य सरकार एवं अपीलांटस के मध्य होने के बावजूद मात्र वर्तमान अपीलांटस की आराजी हड़पने के लिए उक्त कार्यवाही अमल में लाई गई है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 से 6 को लाभान्वित करने की गरज से धारा 175 राज0काश्त0अधि0 की मंशा के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से विवादित आराजियात के मौके की रिपोर्ट प्राप्त की थी जिसमें अपीलांटस के मौके पर काबिज काश्त होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने मौका रिपोर्ट के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने पक्षकारान को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना जल्दबाजी में न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल अपीलाधीन निर्णय

पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016 (2) पेज 1147 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.2.2019 की सूचना प्रार्थीगण को अपने अधिवक्ता से दिनांक 20.4.2019 को मिलने जाने पर हुई । अधिवक्ता ने अवगत कराया कि निर्णय की सूचना डाक द्वारा दी गई किन्तु उक्त सूचना अपीलांटस को प्राप्त नहीं हुई जिससे निर्णय की समय पर जानकारी नही हो सकी थी। तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 से 6 की सहखातेदारी की आराजियात है जिस पर आज दिवस तक रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ही काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित आराजियात बाबत् रेस्पो0 अथवा उनके पूर्वजों द्वारा अपीलांटस के पक्ष में किसी प्रकार का बैचान इकरार निष्पादित नही किया गया है एवं न ही उनकी जानकारी में है । उक्त इकरारनामा फर्जी एवं अवैध होकर प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । वैसे भी 100/–रू0 से अधिक राशि की अचल सम्पति के बेचान/हस्तातंरण के दस्तावेज का पंजीकृत होना कानूनन आवश्यक है । तथाकथित इकरारनामा अपंजीकृत एवं अवैध है तथा इसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा की गई धारा 175 की कार्यवाही भी कानूनन पोषणीय नहीं है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि वादी ने पूर्व में रेस्पो0 संख्या 1 से 6 को धारा 175 की कार्यवाही में पक्षकार कायम बिना एकतरफा में दिनांक 26.6.2014 को निर्णय प्राप्त किया था जिसे मान0 न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् रूप से निरस्त किया गया है । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 से 6 द्वारा काउण्टर क्लेम पेश किया था जिसे अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से स्वीकार किया है तथा वादी का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में 2013 (2) आर0आर0टी0 पेज 1164 डी0बी0, आर0आर0डी0 2000 डी0बी0 पेज 34, 2017 (1) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 422 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तोजात का गहनता से अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के पूर्वजों के नाम से रिकार्ड में रही है । यह तथ्य भी प्रमाणित है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 6 अनूसचित जाति के सदस्य है तथा अपीलांटस जाति से रावत होकर गैर अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते है । पत्रावली के अवलोकन

से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 6 जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है के द्वारा अपीलांटस जो कि गैर अनुसूचित जाति के सदस्य है के पक्ष में विक्रय के इकरारनामे तहरीर किये जाने के आधार पर तहसीलदार द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 175 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत कार्यवाही किये जाने पर अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.2014 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 7 का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये थे । अधी0न्याया0 के उक्त निर्णय दिनांक 26.6.2014 के विरूद्व रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जिसे हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.8.2018 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 26.6.2014 को निरस्त कर निर्देश जारी कर प्रकरण अधी0न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था । उक्त प्रकरण अधी0न्याया0 को रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत अधी0न्याया0 ने वाद में रेस्पो0 संख्या 1 से 6 को पक्षकार कायम कर वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर कुल 5 तनकियात कायम कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित किया है ।

9. अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 यह कायम की थी कि'' आया ग्राम रामपुरा दूदा की वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 183, 184, 186 व 33 कुल किता 4 कुल रकबा 2–13–00 को जरिये ईकरार बेचान का कर अनूसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा राज0काश्त0अधि0 की धारा 42–बी का स्पष्ट उल्लघंन कर स्वंय की खातेदारी भूमियों का स्वेच्छा से गैर अनुसूचित जाति के सदस्य को विक्रय किया है जिसके विरूद्ध दावा प्रस्तुत है ?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/रेस्पो0 संख्या 7 पर था जिसके संबंध में वादी द्वारा ईकरारनामा दिनांक 8.11.1995 की छाया प्रति प्रस्तुत की थी । उक्त ईकरारनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि पन्नालाल वल्द दल्ला, कैलाशचंद्र, बस्तीमल, नन्दकिशोर, मांगीलाल पि0 स्व0 गणेश जाति रेगर द्वारा राशि 40,000/–रू0 में अमरसिंह वल्द नीम्बसिंह, जाति रावत को बेचान का इकरार किया जाना अंकित है । इसी प्रकार एक अन्य बेचान का इकरारनामा दिनांक 21.6.1892 की प्रति भी पेश की थी जिसके अनुसार पन्नालाल वल्द दल्ला, कैलाशचंद्र, बस्तीमल, नन्दकिशोर, मांगीलाल पि0 स्व0 गणेश, जाति रेगर द्वारा राशि 40,000/–रू0 में अमरसिंह वल्द नीम्बसिंह, जाति रावत को बेचान का इकरार किया जाना अंकित किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इकरारकर्ता पन्नालाल वल्द दल्ला व अन्य का नाम जमाबंदी में दर्ज नही होने तथा खातेदार काश्तकार नहीं होने से उन्हें बैचान इकरार का अधिकार नहीं था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त बेचार इकरारनामे अपंजीकृत है तथा केवल मात्र नोटेरी से तस्दीक किये हुए है । सम्पति अंतरण अधि0 1982 के अनुसार 100/–रू0 से अधिक की सम्पति के बेचान/हस्तातंरण पर दस्तावेज का पंजीकृत होना कानूनन आवश्यक है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उक्त बेचान इकरारनामे प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है तथा अनूसचित जाति के व्यक्तियों द्वारा राज0काश्त0अधि0 की धारा 42–बी का उल्लघंन किया जाना भी प्रमाणित नही होता है । विद्वान अधी0न्याया0 का तनकी संख्या 1 के संबंध में पारित निर्णय विधिसम्मत् होने से यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

10. तनकी संख्याः–2– आया अप्रार्थी ने उक्त भूमियों का पूर्ण प्रतिफल अदा कर सद्भाविक रूप से क्रय किया है एवं अप्रार्थी के पक्ष में नियमन किया जाना आवश्यक है एवं उक्त वाद निरस्त योग्य है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 पर था । प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने तनकी संख्या 2 को साबित करने के

संबधं में इकरारनामा दिनांक 8.11.1995 एवं 21.6.1992 की छांया प्रतियां पेश की थी जिसके संबंध में तनकी संख्या 1 में विस्तृत रूप से यह विवेचन किया जा चुका है कि उक्त इकरारनामे में पन्नालाल वल्द दल्ला व अन्य का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं होने से इन्हें बेचान किये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं था इसके अतिरिक्त उक्त बेचान इकरारनामे अपंजीकृत है जबकि सम्पति अंतरण अधि0 1882 के अनुवसार 100/–रू0 से अधिक की सम्पति का दस्तावेज पंजीकृत होना कानूनन आवश्यक है । जिससे उक्त बेचान इकरारनामे अवैध एवं शून्य होने तथा अंपजीकृत होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माने जा सकते है । जब अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत इकरारनामे अवैध एवं शून्य है तो इसके आधार पर अपीलांटस को कोई हक व अधिकार भी प्राप्त नही होते है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 2 का निर्णय अपीलांटस के विरूद्ध विधिसम्मत् रूप से किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । तनकी संख्या 2 का निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

11. तनकी संख्याः–3– आया प्रतिवादीगण का आज दिवस तक संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित इकरानामा अन–रजिस्टर्ड है जो कि प्रतिवादीगण की जानकारी में ही नहीं है एवं प्रतिवादी के खातेदारी हकों एवं अधिकारों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही अवैध एवं शून्य है जिसके आधार पर वादी का वाद कानूनन पोषणीय नहीं है ?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 5 से 10/रेस्पो0 संख्या 1 से 6 पर था । रेस्पो0 संख्या 1 ने 6 ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपना जवाबदावा पेश कर कथन किया है कि तथाकथित बैचान इकरारनामे अपंजीकृत दस्तावेज है तथा विवादित भूमि पर आज दिवस तक प्रतिवादी संख्या 5 से 10/रेस्पो0 संख्या 1 से 6 का कब्जा काश्त होना अंकित किया है । इस संबंध में तनकी संख्या 1 व 2 के निर्णय में विस्तृत रूप से विवेचन किया जा चुका है कि अपीलांटस के पक्ष में तथाकथित इकरारनामे अपंजीकृत होने तथा सम्पति हस्तातंरण अधि0 1982 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध एवं शून्य है तथा ऐसे अवैध एवं शून्य इकरारनामे के आधार पर अपीलांटस को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से तनकी संख्या 3 रेस्पो0 संख्या 1 से 6/प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 के पक्ष में निर्णित की है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रकट नही होती है ।

12. तनकी संख्याः–4–आया वादग्रस्त आराजी को बिलानाम दर्ज किये जाने के आदेश गलत एवं विधि के विरूद्ध होने से उक्त आधार पर किये किये गये नामांतकरण एवं इंद्राज आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 से 10 को वादग्रस्त आराजी मे ंखातेदार उद्घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदार अमल दरामद करवाने के अधिकारी है ?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 10 पर था । पत्रावली एवं अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 6 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित आराजियात को सिवायचक घोषित किये जाने के कारण पुनः स्वंय की खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु काउण्टर क्लेम एवं जवाबदावा प्रस्तुत कर शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत किया तथा संदर्भ में दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये । इसके अतिरिक्त तनकी संख्या 1 से 3 के विस्तृत निर्णय से यह स्पष्ट है कि अपीलांटस के पक्ष में तथाकथित निष्पादित इकरारनामे अपंजीकृत होकर अवैध एवं शून्य है क्योंकि कानूनन सम्पति अंतरण अधि0 1882 के अनुसार 100/–रू0 से अधिक की सम्पति के दस्तावेज का कानूनन पंजीकृत होना आवश्यक है। हस्तगत

प्रकरण में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत बैचान इकरारनामे की छाया प्रतियां होकर अपंजीकृत है दस्तावेजात है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा 100/–रू0 से अधिक की सम्पति के संबंध में होने से सम्पति अंतरण अधि0 1882 के प्रावधानों के विपरीत होने से भी अवैध एवं शून्य है। उक्त विवेचन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 26.6.2014 में उक्त अवैध एवं शून्य इकरारनामे के आधार पर धारा 175 राज0काश्त0अधि0 के तहत वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये थे जबकि उक्त बैचान इकरानामे अवैध एवं शून्य होने से हस्तगत प्रकरण में धारा 42–बी राज0काश्त0 अधि0 का उल्लघंन होना नहीं पाया जाता है तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 से 6 विवादित आराजियात को का स्वंय को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी पाये जाते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण संख्या 5 से 10/रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के पक्ष में निर्णित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः तनकी संख्या 4 के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखा जाता है ।

13. उपरोक्त विवचेनानुसार तनकी संख्या 1 से 4 रेस्पो0 संख्या 1 से 6/प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 10 के पक्ष में साबित होने से रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार योग्य होने से अधी0न्याया0 ने अपने पूर्व निर्णय की पालना में विवादित आराजियात को सिवायचक दर्ज किये जाने तथा इसके आधार पर स्वीकृत नामांतकरण को निरस्त कर रेस्पो0 संख्या 1 से 6 को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं होने के कारण विधिसम्मत् है ।

14. अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 1 से 4 का निर्णय अपीलांटस के विरूद्ध एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के पक्ष में निर्णित होने से तथा अपीलांटस के पक्ष में निष्पादित तथाकथित इकरारनामे कानूनी रूप से शून्य होने से अपीलांटस को कोई विधिक अधिकार प्रापत नहीं होते है तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 6 कानूनी रूप से खातेदारी होकर राजस्व अभिलेख में अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी सिद्ध होते है। अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में कोई तात्विक अनियमिमतता एवं त्रुटि कारित नहीं की गई है । इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

15. अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.9.2019 को यथावत् रखा जाता है । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

16. निर्णय आज दिनांक 17.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर